# कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय – आदेश

शासन से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक प. 04 (15) शिक्षा–1/2019 दिनांक 14.06.2019 के क्रम में इस कार्यालय के निर्देश पत्र 16.06.2019 द्वारा जिला मुख्यालय के 33 राजकीय विद्यालयों को प्रथम चरण में "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" में रूपान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा उक्त विद्यालयों की स्थापना, स्टॉफ व प्रवेश आदि के सम्बन्ध में कार्य योजना जारी की गई थी। उक्त जारी कार्य योजना के अनुसार "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।

राज्य सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के सफल संचालन हेतु उक्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक) कार्यालय जिशिअ (मुख्यालय)–माध्यमिक की एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला निदेशालय के तत्वावधान में आयोजित की जा चुकी है। जिला मुख्यालयों पर संचालित उक्त अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में कक्षा शिक्षण हेतु स्थानाभाव के क्रम में विद्यालय के व्यवस्थित एवं बेहतर संचालन हेतु दो पारी में संचालन बाबत् प्राप्त प्रस्तावों पर गहन विचार – विमर्श उपरान्त निम्नांकित विद्यालयों को एतद् द्वारा दो पारी में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

| क0सं0 | जिला | विद्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 1 | जालौर | महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) शिवाजी नगर, जालौर । |
| 2 | बाड़मेर | महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) स्टेशन नगर, बाड़मेर । |
| 3 | सिरोही | महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) पूराना भवन, सिरोही । |
| 4 | अजमेर | महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) वैशाली नगर, अजमेर । |
| 5 | दौसा | महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) रेल्वे स्टेशन, दौसा । |
| 6 | भीलवाड़ा | महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) लेबर कॉलोनी, भीलवाड़ा । |
| 7 | राजसमन्द | महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) राजनगर, राजसमन्द । |

**विशेष ध्यातव्य :–** उक्त विद्यालयों के दो पारी संचालन हेतु कक्षा–1 से 8 एवं कक्षा– 9 से 12 का संचालन प्रथम अथवा द्वितीय पारी में किये जाने का निर्णय संस्था प्रधान द्वारा अध्यापक–अभिभावक परिषद् एवं एसडीएमसी सदस्यों से विमर्श उपरान्त किया जायेगा। उक्त पारी व्यवस्था में ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन विद्यालय संचालन की समय–सारणी के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकेगा। संस्था प्रधान द्वारा दो पारी में विद्यालय संचालन से कक्षा शिक्षण एवं विद्यालय गतिविधियों में किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न न हो, उक्त बाबत् समुचित व्यवस्थाएं एवं सतत् प्रबोधन सुनिश्चित किया जायेगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/माध्य/मा–द/अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/2019–20 दिनांक : 22.07.19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. सम्बन्धित संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान। ।
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सम्बन्धित संस्था प्रधान।
9. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

D:\ma - D\General letter\General latter.doc94